



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

स. 524] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 1992/भाग 13, 1914
No. 524] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 1992 BRAVANA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1992

का.ग्रा. 594(अ).--केन्द्रीय सरकार, जोषि (कीमती नियंत्रण) आदेश, 1987 के
पैरा 9 के उप पैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत
सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के आदेश सं.का.ग्रा.
47(अ) तारीख 11 जनवरी, 1988 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त आवेश के नीचे की सारणी में क्रम सं. 5 और 7 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक-प्रकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1.	2.	3.	4.	5.
"5.	आक्सोडेन्ट्रासाइक्लिन इंजेक्शन	50 मि. ग्रा/मिलि.	10 मिलि. की शीशी	6.60"
"7.	आक्सोडेन्ट्रासाइक्लिन इंजेक्शन	50 मि.ग्रा/मिलि.	30 मिलि. की शीशी	11.12"

[सं. 8(92)/87-पो. आई-2]]

विनोद चैल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आवेश भारत के राजपत्र, अतिथारण सं. 27, भाग 2, खंड 3 (2) तारीख 11 जनवरी 1987 के पृष्ठ 1-3 पर प्रकाशित हुआ था और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था :—

- (1) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 768 (अ) तारीख 18 अगस्त, 1988
 - (2) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 816(अ) तारीख 13-10-1989
 - (3) सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 291(अ) तारीख 24 अप्रैल, 1991
 - (4) सरकारी अधिसूचना सं. 322 (अ) तारीख 9 द्, 1991
 - (5) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 898(अ) तारीख 20-12-1991
 - (6) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 75(अ) तारीख 24-1-1992
 - (7) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 161(अ) तारीख 26-2-92
 - (8) सरकारी अधिसूचना सं.का.आ. 341(अ) तारीख 15-5-1992
- सभी भारत के राजपत्र भाग 2 खंड-3(2) में प्रकाशित ।

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Chemical & Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1992

S.O. 594 (E) —In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Price Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petrochemicals) No. S.O. 47(E) dated 11th January, 1988, namely:—

In the Table below the said order for serial numbers 5 and 7 and the entries relating there to the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
1	2	3	4	5
5.	Oxytetracycline Injection	50mg/ml	10ml vial	6.60
7.	Oxytetracycline Injection (Veterinary)	50mg/ml	30ml vial	11.12

No. 8(92)/87-PI.II]

VINOD VAISH

Jt. Secy.

NOTES: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary No. 27 Part II Section 3(ii) dated 11th January, 1988 at pages 1-3 and was subsequently amended by:

- (i) Government Notification No. S.O. 768(E) dated 18th August, 1988
 - (ii) Government Notification No. S.O. 816(E) dated 13th October, 1989
 - (iii) Government Notification No. S.O. 291(E) dated 24th April, 1991
 - (iv) Government Notification No. S.O. 322(E) dated 9th May, 1991.
 - (v) Government Notification No. S.O. 898(E) dated 30th December, 1991
 - (vi) Government Notification No. S.O. 75(E) dated 24th January, 1992.
 - (vii) Government Notification No. S.O. 161(E) dated 26th February, 1992
 - (viii) Government Notification No. S.O. 341(E) dated 15th May, 1992
- published in the Gazette of India, Extra Ordinary Part II, Section 3(ii).

